न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 141 / 2023 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 52

दायर दिनांक :– 29.09.2023 निर्णय दिनांक :– 28.01.2025

1. भगवानाराम पुत्र प्रहलादराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

—वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित:– 1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता वादी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि वादी के नाम से गैर खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 1033 / 1 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2076–2079 संलग्न वाद पेश है। उक्त भूमि वादी के नाम आवंटन हुई थी ओर उसी दिन मौके पर चलकर वादी ने कब्जा मौके पर प्राप्त कर लिया था। उक्त आवंटन के आधार पर वादी के पक्ष में नामान्तरकरण भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 9 में उक्त भूमि के खातेदार वादी को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी का उक्त भूमि पर आवंटन से लेकर आज दिन तक कब्जा व काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है। उक्त भूमि पर वादी की रहवासी ढाणी, पानी का टांका व पशुओं के बाड़े इत्यादि बने हुवे है जिसमें वादी अपने परिवार सहित बार ही मास निवास करते है तथा बरसात के समय मे काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादी के नाम से आवंटन हुई है लेकिन वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वाद का बचपन एवं बोलता नाम रिड़मल पुत्र प्रहलाद दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही एवं वास्तवित नाम भगवानाराम पुत्र प्रहलादराम है और इसी नाम से वादी के पहचान संबंधित दस्तावेजात बने हुवे है तथा वादी को वर्तमान में घर परिवार में भगवानाराम पुत्र प्रहलादराम के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है। लेकिन वादी का पूर्वानुसार ही रिड़मल पुत्र प्रहलाद ही दर्ज होने से वादी को भंयकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिये वादी ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1033 / 1 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि में अपने सही एवं वास्तविक नाम भगवानाराम पुत्र प्रहलादराम को गैर खातेदारी से खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। समन बाद तामिल प्राप्त होने पर प्रतिवादी संख्या 01 पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1033/1 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि में वादी का नाम रिडमलराम पुत्र प्रहलादराम के स्थान पर भगवानाराम प्रहलादराम करने तथा उक्त भूमि में वादी का लगातार कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू-राजस्व बकाया नहीं होने से गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाता है कोई उजर एतराज नहीं है। जिससे किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नहीं होता है। चूंकि वादी के वाद का प्रतिवादी की तरफ से कोई प्रतिरोध नहीं होने से पत्रावली में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया इनके बयान पी.डब्लू-1, वादी के भाई जीनवराम ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया इनके बयान पी.डब्लू-2 कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गई।

वकील वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप के खसरा नंबर 1033/1 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में वादी के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार चला आ रहा है जो तथ्य तहसीलदार बाप के जवाब से साबित है। इसलिए वादी का गलत दर्ज नाम रिड़मल पुत्र प्रहलाद के स्थान पर दस्तावेजी नाम भगवानाराम पुत्र प्रहलादराम को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रतिवादी सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1033/1 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि में वादी का नाम रिडमलराम पुत्र प्रहलादराम के स्थान पर भगवानाराम प्रहलादराम करने तथा उक्त भूमि में वादी का लगातार कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू-राजस्व बकाया नहीं होने से गैर खातेदार से खातेदार घोषित किया जाना उचित है।

अधिवक्ता वादीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया जिससे यह साबित है कि उक्त वादग्रस्त भूमि कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1033/1 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि में वादी का नाम रिडमल पुत्र प्रहलाद के स्थान पर भगवानाराम पुत्र प्रहलादराम दुरूस्त किया जाना उचित है जो वाद पत्र के संलग्न ग्राम पंचायत कानासर द्वारा जारी प्रमाण पत्र, वादी के नाम दर्ज अन्य खसरान की भूमि के राजस्व अभिलेख से साबित है। वादग्रस्त भूमि वादी के नाम से आवंटन के पश्चात गैर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। जो वर्तमान में भी वादी के नाम से गैर खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि पर वर्तमान में वादी का कब्जा काश्त है इन तथ्यों को तहसीलदार ने अपने जवाब मे कथन किया है। इसी अनुसार वादी का नाम दुरूस्त किया जाकर

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

गैर खातेदार से खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1033/1 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि में वादीगण का दर्ज नाम रिड़मल पुत्र प्रहलाद के स्थान पर भगवानाराम पुत्र प्रहलादराम नाम से गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप वादी के नाम बकाया राजस्व मांग (यदि हो तो) राजकोष में जमा करवाकर खातेदारी अधिकारों का नामान्तरकरण खोल कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप जिला–फलोदी

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री सुनील पंवार (आर.ए.एस.)

1. भगवानाराम पुत्र प्रहलादराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्याः– 141/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिक्री दी जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1033/1 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि में वादीगण का दर्ज नाम रिड़मल पुत्र प्रहलाद के स्थान पर भगवानाराम पुत्र प्रहलादराम नाम से गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप वादी के नाम बकाया राजस्व मांग (यदि हो तो) राजकोष में जमा करवाकर खातेदारी अधिकारों का नामान्तरकरण खोल कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें।नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.01.2025 जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।